

निर्धारण वर्ष : 2025-26				आयकर आगणन प्रपत्र				वित्तीय वर्ष : 2024-25			
नाम -				पिता / पति का नाम -				eHRMS Code -			
जन्म तिथि -		वरिष्ठ नागरिक -		लिंग -				दिव्यांगता -			
पद -				PAN No. -				Aadhar No. -			
बैंक का नाम -				Account No. -				Mobile No. -			
विद्यालय -				वि० खण्ड -				जनपद -			
Month & Year	Grade Pay	Basic Pay	D.A.	HRA	Other	Gross Pay	N.P.S.	N.P.S. EMPLOYER	G.P.F.	G.I.S.	Adv. IT
MAR - 24											
APR - 24											
MAY - 24											
JUN- 24											
JUL - 24											
AUG - 24											
SEP - 24											
OCT - 24											
NOV - 24											
DEC - 24											
JAN - 25											
FEB - 25											
Arrear	DA 46% - 50%	JAN 24 - FEB 24									
Arrear	DA 50% - 53%	JUL 24 - SEP 24									
Bonus	2023 - 24										
Other											
Total	-										
↓ धारा 80C की बचत का विवरण ↓				1. सकल वार्षिक आय (Gross Annual Income) =							
80CCE = (80C + 80CCC + 80CCD 1) ≤ 1.5 लाख				नोट - N.P.S. के केस में कार्मिक की सकल वार्षिक आय में N.P.S. EMPLOYER भी जोड़े ।							
(01.04.2024 से 31.03.2025)				2(a) मकान किराया से छूट - Sec 10 13A							
1. NPS 80CCD (1)				2(b) होम लोन पर ब्याज की छूट - Sec 24B							
2. GPF				2(c) स्टैंडर्ड डिडक्शन - Max 50000				Rs. 50000			
3. GIS								3. शेष आय (1 - 2)			
4. LIC								4. बैंक ब्याज + अन्य स्रोतों से आय			
5. NSC								5. सकल आय (3 + 4)			
6. PPF				6. घटाएँ -							
7. TUTION FEE				(a) धारा 80C बचत							
8. HOME LOAN का मूलधन				(b) धारा 80D 80DD & 80DDB							
9. सुकन्या समृद्धि योजना				(c) धारा 80G दान / मुख्यमंत्री राहत कोष							
10. PLI				(d) धारा 80U (दिव्यांग छूट)							
11. OTHER				(e) NPS 80CCD 1B (Max 50000)							
				(f) NPS 80CCD 2 (Max 14%)							
				(g) धारा 80 TTA / TTB (बैंक ब्याज छूट)							
				(h) अन्य							
TOTAL								7. कर योग्य आय (5 - 6)			
8. आयकर आगणन -				पुराना स्लैब				कर (TAX)			
(a) 2.5 लाख (वरिष्ठ नागरिक 3.0 लाख तक)				0%							
(b) 250001 (वरिष्ठ नागरिक 300001) से 500000 तक				5%							
(c) 500001 से 1000000 तक				20%							
(d) 1000000 से अधिक				30%							
				9. कुल आयकर (a + b + c + d)							
				10. धारा 87(A) के अंतर्गत छूट (यदि कर योग्य आय 500000 से कम है तो Max छूट Rs 12500)							
				11. आयकर (9 - 10)							
				12. स्वास्थ्य, शिक्षा उपकर (देय आयकर का 4%)							
				13. शुद्ध देय आयकर (11 + 12)							
				14. घटाएँ अग्रिम आयकर							
				15. धारा 89 के अंतर्गत छूट							
				16. शुद्ध देय / प्रतिदेय (Refund) आयकर 13 - (14 + 15)							
हस्ताक्षर शिक्षक / शिक्षिका						हस्ताक्षर खण्ड शिक्षा अधिकारी					